

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2286/417

दिनांक:05.02.2024

सेवा में,


श्री अजीत सिंह एडवोकेट,  
पुत्र श्री अखेराम, चैम्बर नंबर 419,  
जिला न्यायालय, भिवानी (मो. न.9813831675)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 जो कि पावरग्रिड भिवानी कार्यालय में दिनांक 15.01.2024 को प्राप्त हुआ | इस संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

बिंदु न.	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	यह कि आपके विभाग के तत्कालीन जे ई सुभाष शर्मा द्वारा दिनांक 30.11.2018 को मुआवजा फार्म नम्बर 47 बुक नम्बर 117 मुआवजा फार्म भरा गया था उसकी सत्यापित कापी ।	कॉपी संलग्न है ।
2	यह कि आपके विभाग द्वारा मनप्रार्थी को इस कार्य के लिए किस किस प्रकार का और कितना मुआवजा दिया गया था तमाम जानकारी की सत्यापित कापी ।	टैस्टिंग के दौरान फसल क्षतिग्रस्त की एवज में रु.15486/- दिया गया है ।
3	यह कि आपके विभाग द्वारा अर्थ मूवर मशीन द्वारा टावर की टांगों की फाउंडेशन के लिए जमीन को कितनी लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई में खोदा गया था और इस काम के लिए अर्थ मूवर मशीन को कितना समय लगा । खुदाई के एवज में आपके विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई थी । तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां ।	
4	यह कि आपके विभाग द्वारा उस समय क्या-क्या कार्य उपरोक्त खेत में टावर टैस्टिंग के दौरान किया गया था और यह कार्य कितने दिन चला था । तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां ।	
5	यह कि आपके विभाग द्वारा टावर टैस्टिंग के दौरान कितना खर्चा किस किस कार्य के लिए	बिंदु न. 3 से 7 के द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार इस तरह का विशिष्ट रिकॉर्ड अलग से तैयार नहीं



....2

	किया गया। तमाम खर्चों के दस्तावेजों की सत्यापित कापियां।	किया गया है इसलिए जानकारी दे पाना सम्भव नहीं है।
6	यह कि आपके विभाग द्वारा टावर टैस्टिंग का सैम्पल जांच के लिए किस किस कम्पनी को भेजा गया था तथा उसकी क्या रिपोर्ट आई थी। तमाम दस्तावेजों की सत्यापित कापियां।	
7	यह कि टावर टैस्टिंग के दौरान प्रार्थी के खेत में कितने व्यक्तियों ने क्या क्या काम किन किन मशीनों द्वारा किया गया था। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	
8	यह कि मनप्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिए रास्ते का मुआवजा किस किस व्यक्ति को कितना कितना दिया गया था। मुआवजा फार्म सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।	मन प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिए रास्ते का मुआवजा श्री पवन कुमार पुत्र रावत सिंह को रुपये 1532/- दिया गया है।

धन्यवाद।

भवदीय

[जी. पी. प्यासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)  
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1  
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002  
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.  
(A Government of India Enterprise)



765/400/220 के.वी., उप केन्द्र, गांव ढाणा नरसान, भिवानी (हरियाणा) - 127021

संदर्भ सं: उ.क्षे.-2/लाईन/2016 बुक नं. 117 नं. 47 दिनांक 30/11/18

सेवा में,

श्री / श्रीमति. शुजीव सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अखतराम  
ग्राम चिमडीवाली पोस्ट चिमडीवाली तहसील चिमडी जिला चिमडी

महोदय/महोदया,

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि 765 के.वी. सिंगल सर्किट जयपुर (राज.)-भिवानी (हरियाणा) Part-II लाइन के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाइन के निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके सुपुर्द कर दिया जायेगा। इस प्रकार निर्माण के समय क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति जो राजस्व विभाग या अन्य सक्षम सरकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकलन पर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

फसल का विवरण :-

क्रमांक	टावर संख्या	फसल का विवरण	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	किला संख्या /ग्राम	अन्य विवरण
	2/0	सरसों गन्ना	40 x 30 = 1200 8 (67 x 3) = 134	88/5	यहां टैलिंग एवं सिम्पकिंग के लिए 500 से 200 की गहराई कटाव को नुकसान.

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

- 1) नुकसान हुई फसल का केवल मैं/हम ही मालिक हूँ/हैं यदि अन्य कोई इस पर अपना अधिकार प्रमाणित करता है तो उसके लिए मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 2) उपरोक्त दी गई सूचना मान्य है।

फसल स्वामी के हस्ताक्षर.....

स्वामित्व सत्यापित

हस्ताक्षर पटवारी, सरपंच/नखबंदार, भिवानी

कृते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

रससो नं. 88/5 यदा नं. 255 से

1/2 भाग को मालिक 9/1  
अवर अभियंता/अभियंता